सुबेग सिंह बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र और अन्य (जी. एस. गिल, जे.)

गुरविंदर सिंह गिल के **सम्मुख जे.**

सुबेग सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ का का संघ क्षेत्र और अन्य प्रतिवादीगण -

2018 का सीडब्ल्यूपी No.9837

सितंबर 18,2019

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 161-दोषियों की समयपूर्व रिहाई-पंजाब जेल नियमावली-S.431-गंभीर अपराधों, डकैती के साथ हत्या के लिए आजीवन कारावास का दोषी याचिकाकर्ता-राज्य ने विवेकपूर्ण पूछताछ के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर उसकी रिहाई की सिफारिश करने से इनकार कर दिया-इसके अलावा अन्य मामलों और आतंकवाद में उसकी संलिप्तता के कारण-माना जाता है कि दोषी को विभिन्न मानकों के तहत समयपूर्व रिहाई के लिए विचार करने का अधिकार है-शांति भंग होने या दोषी के अपराध करने की संभावना की आशंका पर रिहाई से इनकार किया जा सकता है-रिहाई पर विचार करते समय अन्य मामलों में रिहाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन आचरण, पूर्ववृत्त और शांति भंग होने की संभावना के बारे में राय पूरी तरह से ऐसे बरी होने पर आधारित नहीं होनी चाहिए-विवेकपूर्ण पूछताछ

यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी दोषी की समयपूर्व रिहाई के मामले पर विभिन्न मानदंडों के तहत विचार किया जाना आवश्यक है और राज्य सरकार समयपूर्व रिहाई का लाभ न देने का विकल्प चुन सकती है यदि यह पाया जाता है कि दोषी के अपराध करने या शांति भंग करने की कोई संभावना है, जो उस अपराध की परिस्थितियों से जुड़ी है जिसके लिए उसे मूल रूप से दोषी ठहराया गया था। इसने विशेष रूप से पंजाब जेल नियमावली, 1996 की धारा 431 में प्रावधान किया कि सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित है।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के मामले की अनुशंसा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला (अनुलग्नक पी-9) की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप नहीं की गई थी, जिसमें एसएसपी, पटियाला के माध्यम से मांगी गई जानकारी के आधार पर यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं और न तो ग्राम पंचायत और न ही याचिकाकर्ता के गांव का कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति सूबेग सिंह की समय से पहले रिहाई, के संबंध में बयान देने के लिए आगे आने को तैयार है।

जबकि गोपनीय पूछताछ से यह पता चला था कि गाँव में कोई भी नहीं चाहता था कि सूबेग सिंह को समय से पहले रिहा किया जाए क्योंकि वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा था और अगर उसे रिहा किया जाता है तो कुछ अप्रिय घटना हो सकती है और राज्य में शांति बाधित हो सकती है।

(पैरा 13)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने जोरदार तर्क दिया कि वास्तव में उन 2 मामलों के अलावा जिनमें वह पहले ही बरी हो चुका है, उसके खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी के संबंध में कोई अन्य कार्यवाही लंबित नहीं है और इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता द्वारा शांति भंग करने की आशंका के बारे में जिला अधिकारियों की राय बिना किसी आधार के और उचित नहीं है, इस न्यायालय की राय है कि एक दोषी के खिलाफ लंबित मामलों में बरी होने के तथ्य को निश्चित रूप से समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ दोषी के आचरण और पूर्ववृत्त और रिहाई पर शांति भंग होने की संभावना के बारे में राय पूरी तरह से ऐसे बरी होने पर आधारित नहीं है।किसी मामले में, कोई अभियुक्त कुछ विशुद्ध रूप से तकनीकी कारणों से या लापरवाही से की गई जाँच या गवाहों को जीत लेने के कारण बरी हो सकता है।जिला अधिकारियों को पूछताछ करके आचरण और पूर्ववृत्त के बारे में एक राय बनानी होती है जो एक विवेकपूर्ण जांच की प्रकृति में भी हो सकती है।इस तरह की जांच के दायरे में निम्नलिखित पहलू शामिल हो सकते हैं:

1. चाहे अपराध बिना किसी अपराध के व्यक्तिगत कार्य हो।

समाज को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है?

2. क्या इसे सीमित करने का कोई सार्थक उद्देश्य है

अब और दोषी?

3. क्या भविष्य में पुनरावृत्ति की कोई संभावना है

अपराध करना?

4. क्या दोषी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है

अपराध?

5. दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति?

(पैरा 15)

विजय के. जिंदल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

सुकांत गुप्ता, एडिशनल।पी. पी. यू. टी. चंडीगढ़ प्रतिवादीगण संख्या 2 और 3.

सुबेग सिंह बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र और
अन्य (जी. एस. गिल, जे.)

कीरत सिंह सिद्धू, डी. ए. जी., पंजाब।

गुरविंदर सिंह गिल, जे।

(1) याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसमें दिनांकित 2.7.2015 (अनुलग्नक पी-8) और दिनांकित 14.9.2016 (अनुलग्नक पी-10) के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के मामले को खारिज कर दिया गया है।

(2) याचिकाकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 302,392 और 380 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 18.5.1999 (अनुलग्नक पी-1) के फैसले के माध्यम से दोषी ठहराया गया है, जिसके तहत उसे निम्नलिखित कारावास की सजा सुनाई गई थीः-

धारा के तहत दोषसिद्धि	सजा सुनाई गई	जुर्माने का भुगतान न करने पर
120-बी आई. पी. सी	आर. आई. आजीवन और 1000/- का जुर्माना	6 महीने के लिए आर. आई.
302 आईपीसी	आर. आई. आजीवन और 1000/- का जुर्माना	6 महीने के लिए आर. आई.
392 आईपीसी	आर. आई. आजीवन और 1000/- का जुर्माना	6 महीने के लिए आर. आई.
380 आईपीसी	5 साल के लिए आर. आई. और 1000/- का जुर्माना	6 महीने के लिए आर. आई.

(3) अपीलार्थी ने इस न्यायालय में आपराधिक अपील यानी 1999 की सी. आर. ए.-डी.-305-डी. बी. दायर करके अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की, जिसे दिनांक 5-7-1999 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

(4) याचिकाकर्ता के मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उसकी समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया गया था, लेकिन दिनांक 2.7.2015 (अनुलग्नक पी-8) के विवादित आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था।याचिकाकर्ता के मामले को निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया गया थाः

(i) कि अभिरक्षा में रहते हुए भी, याचिकाकर्ता जेल तोड़ने में शामिल था, जिसके बारे में आई. पी. सी. की धारा 121,121-ए, 123,223,224 और 217 के तहत दिनांक 22-01-2004 की एफ. आई. आर. संख्या 17 दर्ज की गई थी; (ii) कि याचिकाकर्ता को पैरोल के बाद जेल के द्वार पर आत्मसमर्पण करते समय मादक पाउडर के साथ पकड़ा गया था, जिसके बारे में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 22,61,85 के तहत दिनांक 06-10-2012 की एफ. आई. आर. No.147 दर्ज की गई थी।

(iii) कि जेल महानिरीक्षक (यू. टी.) ने जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला से रिपोर्ट माँगी थी, जिन्होंने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी था और आतंकवाद के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था और यदि रिहा किया जाता है तो वह अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है जिससे राज्य में शांति बाधित हो सकती है।

(5) याचिकाकर्ता ने 2015 की सिविल रिट याचिका यानी सी. डब्ल्यू. पी. No.1715 दायर करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी।हालाँकि, उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के मामले पर उसकी समय से पहले रिहाई के लिए फिर से विचार किया गया था, लेकिन इसे दिनांक 14.09.2016 (अनुलग्नक पी-10) के आदेश के माध्यम से फिर से खारिज कर दिया गया था, जबकि यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता जेल तोड़ने के मामले में शामिल था, अर्थात 22.1.2004 की एफ़. आई. आर. संख्या 17, जिसका मुकदमा अभी भी लंबित था।उनके मामले की अस्वीकृति के लिए एक अन्य कारक यह था कि जेल महानिरीक्षक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को देखते हुए उनकी रिहाई की सिफारिश नहीं की थी।

(6) नतीजतन, याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में संशोधन किया ताकि अस्वीकृति के उपरोक्त बाद के आदेश को भी चुनौती दी जा सके।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को अब तक 28 साल से अधिक की सजा हो चुकी है जिसमें साढ़े सात साल की छूट शामिल है और किसी भी मामले में उसे 20 साल की वास्तविक सजा हो चुकी है और इस तरह वह पूरी तरह से दोषियों की समय से पहले रिहाई से संबंधित नीति के दायरे में आता है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अन्य दो मामलों के संबंध में मुकदमे जिनमें याचिकाकर्ता पर मामला दर्ज किया गया था अर्थात जेल तोड़ने का मामला (एफ. आई. आर. No.17 दिनांक 22.01.2004) और प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली से संबंधित मामला (एफ. आई. आर. संख्या 147 दिनांक 6.10.2012), पहले से ही समाप्त हो चुका है जिसमें याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया है और यह कि आरोपी के खिलाफ कोई अन्य मुकदमा लंबित नहीं है।

(8) दूसरी ओर, विद्वान राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक दोषी अधिकार के रूप में अपनी समय से पहले रिहाई का दावा नहीं कर सकता है और यह कि सरकार द्वारा उसके पिछले आचरण और उसकी रिहाई के परिणामस्वरूप शांति के उल्लंघन की संभावना सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया जाना विवेकपूर्ण है।यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता

की पृष्ठभूमि और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी रिहाई शांति बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं होगी क्योंकि वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा था, इसलिए समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले को अस्वीकार करना उचित समझा गया।

यह आगे प्रस्तुत किया कि जेल तोड़ने के मामले (एफ. आई. आर. संख्या 17 दिनांक 22.1.2004) और जेल में रहते हुए याचिकाकर्ता के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी से संबंधित मामले (एफ. आई. आर. संख्या 147 दिनांक 6.10.2012) के अलावा, याचिकाकर्ता निम्नलिखित मामलों में भी शामिल रहा हैः

(i) आई. पी. सी. की धारा 379/511, पी. एस. सदर राजपुरा के तहत एफ. आई. आर. संख्या 116 दिनांक 08.06.1998।

(ii) आई. पी. सी. की धारा 302,323,34, पी. एस. सदर राजपुरा के तहत एफ. आई. आर. सं. 34 दिनांक 10.04.1994।

(iii) धारा 25-ए टाडा, पी. एस. सदर राजपुरा के तहत एफ. आई. आर. सं. 95 दिनांक 28.06.1991।

(iv) आई. पी. सी. की धारा 452/325, पी. एस. सिटी, राजपुरा के तहत एफ. आई. आर. सं. 25 दिनांक 10.03.1995।

(v) आई. पी. सी. की धारा 380,451,452,506,148 और 149, पी. एस. सिटी, राजपुरा के तहत एफ. आई. आर. No.34 दिनांक 22-01-1995

(9) मैंने इससे पहले अदालत ds **के सम्मुख** संबोधित प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

(10) आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी के पूरे जीवन के लिए वास्तविक आजीवन कारावास, जैसा कि भारत संघ बनाम श्रीहरण 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, किसी के पूरे 'जीवन' के लिए कारावास की सजा को राज्य सरकार द्वारा उसकी समय से पहले रिहाई के लिए एक आदेश पारित करके कम किया जा सकता है।हालांकि, इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग राज्य स्तरीय समिति की सलाह पर किया जाना चाहिए।राज्य स्तरीय समिति को ठोस सिद्धांतों पर आधारित सभी भौतिक पहलुओं पर विचार करते हुए अपने निर्णय पर पहुंचना होगा।यदि न्यायालय को लगता है कि उक्त विवेकाधिकार का उचित तरीके से उपयोग नहीं किया गया है, तो न्यायालय समय से पहले रिहाई देने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करने के आदेश को रद्द कर सकता है और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।हालाँकि, न्यायालय अपने दम पर, किसी दोषी को समय से पहले रिहा करने या न करने पर विचार करने की कवायद नहीं करेगा।माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भूप सिंह 2 में उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय ने एक दोषी की पूर्व-परिपक्व

रिहाई का निर्देश दिया था, जबकि अपीलार्थी/राज्य के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि उच्च न्यायालय केवल प्राधिकरण को निर्देश दे सकता है - (2016) 7 एससीसी

2009(2) एससीसी 268

समय से पहले रिहाई से संबंधित मामले पर विचार करें, लेकिन दोषी की स्वतः रिहाई के आदेश पर नहीं।

(11) याचिकाकर्ता U.T.Chandigarh में उसके द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में सजा काट रहा है।चंडीगढ़ प्रशासन ने 2 अप्रैल, 1997 की राजपत्र अधिसूचना (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से कैदियों की समय से पहले रिहाई पर विचार करने के उद्देश्य से पंजाब जेल नियमावली, 1996 (पंजाब में जेलों के अधीक्षण और प्रबंधन के लिए नियमावली) को अपनाया था।पंजाब जेल नियमावली की धारा 431 भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के संदर्भ में कैदियों की समय से पहले रिहाई से संबंधित है, जिसके तहत किसी राज्य के राज्यपाल को सजा में छूट देने या अपनी सजा को कम करने की शक्तियां निहित हैं।पंजाब जेल नियमावली-1996 की धारा 431 के प्रावधानों के अनुसार, जघन्य अपराध करने के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति, जिसने 12 साल की वास्तविक सजा और छूट सहित कुल 18 साल की सजा काट ली है, वह अपनी पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए विचार करने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसका मामला उसमें उकेरे गए अपवादों में न आए।पंजाब जेल नियमावली, 1996 की धारा 431 इस प्रकार हैः

431. संविधान के अनुच्छेद 161 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432,433 और 433-ए के तहत प्रक्रिया। सीआर.पी.सी. 1973।–

(1) (i) संविधान के अनुच्छेद 161 या 1973 की धारा 432,433 और 433-ए के तहत सरकार की शक्तियों के प्रयोग के लिए आवेदन पर विचार करने से पहले एक दोषी के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि निम्नानुसार हैः

ए.	बी.	सी.	डी.	ई.
जिन दोषियों की मौत की सजा को	ऐसे दोषी जिन्हें उन अपराधों के	ऐसे दोषी जिन्हें उन अपराधों के लिए आजीवन	अन्य आजीवन कैदियों को	अन्य आजीवन कैदी

आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, उनके लिए	लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है जिनके लिए मौत एक सजा है और जिन्होंने जघन्य अपराध किया है	कारावास की सजा दी गई है जिनके लिए मौत की सजा है लेकिन अपराधों को जघन्य नहीं माना जाता है	उन अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है जिनके लिए मृत्युदंड की सजा नहीं है और उन्होंने जघन्य अपराध किया है।						
ए.	बी.	सी.	डी.	ई.					
वास्तविक **कारावास**	माफी के साथ इम्प्रिस ओएनटी	वास्तविक कारावास	छूट के साथ जेल	वास्तविक कारावास	छूट के साथ जेल नहीं	वास्तविक कारावास	छूट के साथ जेल नहीं	वास्तविक कारावास	छूट के साथ जेल नहीं

661

- सुबेग सिंह बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र और अन्य
(जी. एस. गिल, जे.)

	आयन					मुझे नहीं		तो एन. एम. एंट	
1	2	3	4	5					
वयस्कः									
14	20	12	18	10	14	10	14	8 1/2	14
महिलाएँ/नाबालिगः									
10	14	8	12	8	12	8	12	6	10

ए. उपरोक्त 1 (आई) के कॉलम 'बी' के संदर्भ में जघन्य अपराधों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(i) आई. पी. सी. की धारा 347 के साथ धारा 302 के तहत अपराध अर्थात जबरन वसूली के लिए गलत तरीके से कारावास के साथ हत्या।

((ii) 375 के साथ धारा 302 अर्थात बलात्कार के साथ हत्या।

(iii) हत्या के साथ डकैती का अपराध।

((iv) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत अपराधों के साथ-साथ धारा 307 के तहत अपराध।

(v) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के तहत अपराध के साथ धारा 302 के तहत अपराध।

(vi) जहां दहेज पर किसी भी विवाद के संबंध में हत्या की गई है, वहां धारा 303 के तहत अपराध और यह निचली अदालत के फैसले में इंगित किया गया है।

((vii) जहां पीड़ित 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, वहां धारा 302 के तहत अपराध।

(viii) जेल के अंदर या पैरोल पर या सजा समाप्त होने पर दोषी ठहराए जाने के बाद की गई दोहरी हत्या और हत्या को जघन्य अपराध माना जाएगा।

(ix) आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत कोई भी दोषसिद्धि।

संशोधित नीति के कॉलम 'डी' के संदर्भ में जघन्य अपराध को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(1) आई. पी. सी. की धारा 304 (बी) के तहत अपराध, यानी दहेज मृत्यु।

(2) आई. पी. सी. की धारा 347 के साथ धारा 304 के तहत अपराध अर्थात जबरन वसूली के लिए गलत तरीके से बंधक बनाने के साथ गैर इरादतन हत्या।

(3) धारा 375 के साथ धारा 304 के तहत अपराध अर्थात बलात्कार के साथ गैर-इरादतन हत्या।

(4) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत अपराध के साथ धारा 304 के तहत अपराध।

(5)धारा 304 के तहत अपराध जहां दहेज पर किसी भी विवाद के संबंध में गैर इरादतन हत्या की गई है और यह निचली अदालत के फैसले में इंगित किया गया है।

(6) धारा 304 के तहत अपराध जहां पीड़ित 14 साल से कम उम्र का बच्चा है।

(7) आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत कोई भी दोषसिद्धि अर्थात उपरोक्त अपराधों के संबंध में आपराधिक साजिश के लिए।

बी. आई. वयस्कों को 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है।

II. The समय से पहले रिहाई के मामलों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब दोषी ने जेल में अच्छा आचरण बनाए रखा हो।इस उद्देश्य के लिए अच्छे आचरण का अर्थ है कि उसने उपरोक्त पैरा 1 के अनुसार रिहाई के लिए विचार करने की अपनी पात्रता की तारीख से पहले 5 साल की अवधि के लिए कोई जेल अपराध नहीं किया है।

III. समयपूर्व रिहाई के मामलों पर तभी विचार किया जाएगा जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि दोषी की रिहाई की स्थिति में दोषी के अपराध करने या शांति भंग करने की किसी भी तरह से उस अपराध की परिस्थितियों से जुड़ी कोई संभावना नहीं है जिसके लिए उसे मूल रूप से दोषी ठहराया गया था।

IV.The सरकार संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किसी भी तरह से करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

2. पालन की जाने वाली प्रक्रियाः

(i) नीति के पैरा-1 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत समय से पहले रिहाई के लिए विचार करने के लिए पात्र होने पर दोषी को राज्यपाल को एक याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें वह चाहते हैं कि उनके मामले को समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया जाए।

(ii) राज्य सरकार कारावास के विवरण के सत्यापन के साथ-साथ अच्छे व्यवहार की रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रारूप में मामला तैयार करने के लिए याचिका को कारागार महानिरीक्षक को भेजेगी।

(iii) याचिका की एक प्रति एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी

ताकि सत्यापन के लिए की गई दलीलों के याचिका और दोषी द्वारा शांति भंग करने या अपराध करने की संभावना के बारे में एक रिपोर्ट जो मूल रूप से उसके द्वारा किए गए अपराध की परिस्थितियों से जुड़ी है।इस उद्देश्य के लिए, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगाः

(क) पैरोल की अवधि के दौरान दोषी का व्यवहार।

(ख) स्थानीय पंचायत के विचार।

शांति भंग या अपराध की संभावना के बारे में वास्तविक सत्यापन और रिपोर्ट संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी और रिपोर्ट उनके हस्ताक्षर के तहत जिला एस. पी. को भेजी जाएगी। (एसएसपी)।इसके अलावा जिला एस. पी. (एस. एस. पी.) इसे अपने हस्ताक्षर से जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो आगे इसे अपने हस्ताक्षर से सरकार को भेजेगा।ये कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट और जिला एस. पी. द्वारा प्रत्यायोजित नहीं किए जाएंगे। (एसएसपी) और एस. एच. सी.

(iv) आई. जी. जेलों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार निर्धारित नीति के अनुसार याचिका पर निर्णय लेगी।

3. जहां तक धारा 432 और 433 के तहत समय से पहले रिहाई से निपटने की नीति का संबंध है, यह निम्नलिखित अंतर के साथ संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत मामलों को तय करने के लिए प्रस्तावित नीति के समान होगीः

समय से पहले रिहाई के मामले से पहले वास्तविक कारावास की न्यूनतम अवधि निम्नानुसार मानी जाएगीः

जिन दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया	ऐसे दोषी जिन्हें उन अपराधों के लिए आजीवन कारावास	ऐसे दोषी जिन्हें उन अपराधों के लिए आजीवन कारावास	अन्य आजीवन कैदियों को उन अपराधों के लिए	अन्य आजीवन कैदी

गया है, उनके लिए	की सजा दी गई है जिनके लिए मृत्यु एक सजा है और जिन्होंने जघन्य अपराध किया है	की सजा दी गई है जिनके लिए मौत की सजा है लेकिन अपराधों को जघन्य नहीं माना जाता है	आजीवन कारावास की सजा दी गई है जिनके लिए मृत्युदंड की सजा नहीं है और उन्होंने जघन्य अपराध किया है।	
ए.	बी.	सी.	डी.	ई.
वास्तविक शर्त	वास्तविक कारावास	वास्तविक कारावास	वास्तविक कारावास	वास्तविक कारावास

कैद की सजा	रेमीसी के साथ	कैद की सजा	माफी के साथ नहीं	कैद की सजा	माफी के साथ	कैद की सजा	माफी के साथ	कैद की सजा	माफी के साथ
1	2	3	4	5					
14	20	14	20	14	20	10	14	8 1/2	14
महिलाएँ/नाबालिगः									
14	20	14	20	14	20	8	12	6	10

जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, दोषी के लिए वास्तविक कारावास के वर्षों की आवश्यक संख्या पूरी होने पर अपनी याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।आई. जी. जेल संबंधित दोषी के मामले को पात्रता तिथि पर या उसके बाद सरकार को भेजेगा जो तब जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उचित निर्णय लेगा।

18.12.1978 से पहले दोषी ठहराए गए कैदियों के संबंध में।

(क) समय से पहले रिहाई के मामलों के संबंध में सरकार द्वारा 1971 (10.11.1971) और 1976 (30.1.1976) में बनाई गई नीति के आलोक में उनके मामलों पर विचार किया जाएगा।

(ख) 18-12-1978 के बाद दोषी ठहराए गए आजीवन कैदियों के मामले सरकार द्वारा अपनाई गई नीति 12.12.1985 द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

(12) पंजाब जेल नियमावली-1996 की धारा 431 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का मामला डकैती के साथ-साथ हत्या के अपराध के रूप में 'जघन्य' अपराध की श्रेणी में आएगा।आम तौर पर, ऐसे दोषी 12 साल की वास्तविक सजा और छूट सहित कुल 18 साल की सजा भुगतने पर समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे।हालाँकि, यह सही नहीं है कि एक दोषी, ऐसी सजा पूरी होने पर, अपनी समय से पहले रिहाई का दावा कर सकता है।इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय,

हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह और अन्य 3 के रूप में आयोजित

निम्नलिखित हैः- “32. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत एक दोषी के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, माफी के लिए विचार किए जाने के अधिकार को कानूनी माना जाना चाहिए।इस तरह का कानूनी अधिकार न केवल जेल अधिनियम से बल्कि उसके तहत बनाए गए नियमों से भी निकलता है।

3 2007(13) एस. सी. सी. 606

हालाँकि किसी भी दोषी को अपनी सजा में छूट प्राप्त करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नीतिगत निर्णय को देखते हुए उसे ही इसके लिए विचार किए जाने का अधिकार माना जाना चाहिए।चाहे किसी वैधानिक नियम के कारण हो या अन्यथा यदि कोई नीतिगत निर्णय निर्धारित किया गया है, तो जो व्यक्ति इसके दायरे में आते हैं, वे समान व्यवहार के हकदार हैं।"

(13) एक दोषी की समय से पहले रिहाई के मामले पर विभिन्न मापदंडों के तहत विचार किया जाना आवश्यक है और राज्य सरकार समय से पहले रिहाई का लाभ न देने का विकल्प चुन सकती है, यदि यह पाया जाता है कि दोषी के अपराध करने या शांति भंग करने की कोई संभावना है, जो उस अपराध की परिस्थितियों से जुड़ी है जिसके लिए उसे मूल रूप से दोषी ठहराया गया था।इसने पंजाब जेल नियमावली, 1996 की धारा 431 में विशेष रूप से प्रावधान किया कि सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित है।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के मामले की अनुशंसा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला (अनुलग्नक पी-9) की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप नहीं की गई थी, जिसमें एसएसपी, पटियाला के माध्यम से मांगी गई जानकारी के आधार पर यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं और न तो ग्राम पंचायत और न ही याचिकाकर्ता के गांव का कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति सुबेग सिंह की समय से पहले रिहाई के संबंध में बयान देने के लिए आगे आने को तैयार है, जबकि विवेकपूर्ण पूछताछ पर यह पता चला था कि गांव में कोई भी नहीं चाहता था कि सुबेग सिंह को समय से पहले रिहा किया जाए क्योंकि वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा था और अगर उसे रिहा किया जाता है तो कुछ अप्रिय घटना हो सकती है और राज्य में शांति बाधित हो सकती है।

(14) इसी तरह जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला की रिपोर्ट थी, जब याचिकाकर्ता के मामले को पहले दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है और आतंकवाद के समय के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था और यदि रिहा किया जाता है, तो वह अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है जिससे राज्य में शांति में बाधा डालने वाली कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

(15) यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि वास्तव में उन 2 मामलों के अलावा जिसमें वह पहले ही बरी हो चुके हैं, उनके खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी के संबंध में कोई अन्य कार्यवाही लंबित नहीं है और इन परिस्थितियों में द्वारा शांति भंग करने की आशंका के बारे में जिला अधिकारियों की राय है।

याचिकाकर्ता बिना किसी आधार के है और न्यायोचित नहीं है, इस न्यायालय की राय है कि एक दोषी के खिलाफ लंबित मामलों में बरी होने के तथ्य को निश्चित रूप से समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ आचरण और पूर्ववृत्त और दोषी की रिहाई पर शांति भंग करने की संभावना के बारे में राय पूरी तरह से ऐसे बरी होने पर आधारित नहीं है।किसी मामले में, कोई अभियुक्त कुछ विशुद्ध रूप से तकनीकी कारणों से या लापरवाही से की गई जाँच या गवाहों को जीत लेने के कारण बरी हो सकता है।जिला अधिकारियों को पूछताछ करके आचरण और पूर्ववृत्त के बारे में एक राय बनानी होती है जो एक विवेकपूर्ण जांच की प्रकृति में भी हो सकती है।इस तरह की जांच के दायरे में निम्नलिखित पहलू शामिल हो सकते हैं:

1. क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है?

2.क्या भविष्य में अपराध करने की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है?

3.क्या दोषी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है?

4. दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति?

(16) वर्तमान मामले में, चूंकि यह विशेष रूप से बताया गया है कि याचिकाकर्ता के गांव में कोई भी उसके अच्छे व्यवहार की पुष्टि करने के लिए आगे नहीं आया और शांति भंग होने के बारे में आशंकित था, इसलिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के राज्य सरकार के निर्णय को इस स्तर पर दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है ताकि किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।इस प्रकार याचिका खारिज कर दी जाती है।

(17) हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश को भविष्य में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यदि बाद के चरण में यह पाया जाता है कि वह समय से पहले रिहाई के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है और उसका मामला किसी भी अपवाद में नहीं आता है और उसकी रिहाई से शांति में हस्तक्षेप होने की संभावना नहीं है।यह और स्पष्ट किया जाता है कि जब भी याचिकाकर्ता के मामले पर नए सिरे से विचार किया जाएगा तो राज्य उन सभी पांच अन्य मामलों के संबंध में विशिष्ट जानकारी मांगेगा जिनमें

याचिकाकर्ता शामिल बताया गया है जैसा कि इस निर्णय के अनुलग्नक पी-9 और पैरा 8 में उल्लेख किया गया है।

त्रिभुवन दहिया

प्रवीण वर्मा

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।